न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर म0प्र0

निग/3588-II-15

1- शीला पत्नि धर्मदास अहिरवार

2- संतराम तनय रामदयाल अहिरवार

3- कान्ती पत्नि संतराम अहिरवार

4- संतोष कुमार वल्द पन्नालाल अहिरवार

5- विनोद कुमार वल्द पन्नालाल अहिरवार

सभी निवासी ग्राम अपरबल तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र0

-- आवेदक गण

// विरुद्ध //

म0प्र0 शासन

द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ ---- अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959

आवेदक गण अधिरूथ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर म0प्र0 द्वारा निगरानी प्रकरण क्र0 741/अ-19 वर्ष 2002-03 में पारित आदेश दिनांक 20/5/2015 से दुखित होकर निम्न आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करते है :-

// निगरानी के तथ्य //

1. यह कि सभी आवेदक गण ग्राम अपरबल तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र0 के स्थायी निवासी है तथा जाति के हरिजन है तथा भूमिहीन है । नायब तहसीलदार महोदय वृत्त लिधौरा द्वारा अपने राजस्व

--2--

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-3588/II/15 .... जिला टीकमगढ़ ....

स्थान तथा दिनांक	श्रीला कार्यवाही तथा आदेश वी०पी० शाह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16.	यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्रकरण 741/अ-19/02-03 में पारित आदेश दिनांक 20-5-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया एवं प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति का परिशीलन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि नायब तहसीलदार लिधौरा तह० जतारा द्वारा नगर पंचायत लिधौरा की सीमा से 2 कि०मी० की परिधि में आने वाली भूमि ख०क्र० 242/1 जु०/, 223 रकबा-1.135 हे० का व्यवस्थापन कृषि प्रयोजन हेतु किया गया है जो नियम विरुद्ध था जिसकी अधिकारिता नायब तह० को नहीं थी। उक्त संबंध में अपर आयुक्त सागर द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 20-5-15 में विस्तृत विवेचना की जाकर स्पष्ट रूप से विस्तृत एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है। आवेदक अधिवक्ता को तर्क के समय अपने पक्ष समर्थन में सुसंगत अभिलेख एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का भी अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है उनके इस व्यवस्थापन के संबंध कथन्य	

[क्र. प. उ.

R. 3588/11/15   टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
भोपाल	आसन	
	एवं अपर आयुक्त द्वारा लिए गये निर्णय सही एवं उचित हैं जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी में प्रथमदृष्ट्या ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्र० दा०रि०हो (सदस्य)	

शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.